



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-22.08.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा पर्चा, पेन, व नगदी बरामद:-

दिनांक 21.08.2025 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये सट्टा पर्चा, पेन व 1120/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मुन्नवर पुत्र बन्दा निवासी मौहल्ला ताडवाला कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. नकदी 1120/- रुपये।

2. सट्टा पर्चा, पेन।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. है0का0 अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. हो0गा0 रफल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01

एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.बहादुर पुत्र राममेहर निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.08.2025 को सुशील कुमार पुत्र नंदपाल निवासी शिवनगर बीबीपुर जलालाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली के भाई सागर को ग्राम बीबीपुर से करनाल रोड़ गौशाला के पास दीपक, शिवकुमार, पुष्पेन्द्र व कुसुम ने एक राय होकर गाली गलौच, मारपीट व जानलेवा हमला किया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत एक राय होकर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.कुसूम पुत्र सिमरू निवासी धनैना थाना गढीपुखता जनपद शामली हाल निवासी ग्राम शिवनगर (बीबीपुर) थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रा0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 सुमित नागर थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद:-

आज दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.विशाल पुत्र रामशरण निवासी ग्राम अगडीपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 410/2025 धारा 74 बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ)स0 411/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 234/21 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 शिवबहादुर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 अरविंद कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 सुरेन्द्र राणा थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 12.07.2025 को थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. साजिद पुत्र समेयदीन निवासी ग्राम बसीकला थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

2. है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया केबल व अन्य उपकरण बरामद:-

ज्ञात हो कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरसाना में ट्यूबवैल/नलकूपों से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2025 को वादी श्री जयवीर पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी कस्बा ऊन व थाना झिंझाना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 चोरों को ट्यूबवैल/नलकूपों से चोरी किये गये केबिल, कटआउट के टुकड़े व अन्य सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.संदीप पुत्र विलेंद्र निवासी ग्राम गढीअबदुल्ला खाँ थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2.मुददसिर पुत्र शरीफ निवासी ग्राम गढीअबदुल्ला खाँ थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.ट्यूबवैल/नलकूपों से चोरी किये गये केबिल, कटआउट के टुकड़े व अन्य सामान।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.है0का0 प्रवीन कुमार कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.का0 निशांत कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.का0 सत्यप्रकाश थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 04 लीटर शराब बरामद:-

आज दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सागर पुत्र संजय निवासी ग्राम व थाना भौराकला जनपद मु0नगर को अवैध 04 लीटर शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सागर पुत्र संजय निवासी ग्राम व थाना भौराकला जनपद मु0नगर।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 04 लीटर शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री युनूस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2-हे0का0 विकास कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.-हो0गा0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग-अलग 06 मामले में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 41,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2003 में अभियुक्त इंदरीश पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 240/2003 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2017 में अभियुक्त शेरसिंह पुत्र करण सिंह निवासी रामसागर थाना कतोवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 22/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2008 में अभियुक्त खुशनूद उर्फ पम्पू पुत्र महमूद खान निवासी कबिरनगर गली न0-05 थाना वेलकम नई दिल्ली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 376/08 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज

दिनांक 22.08.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.- वर्ष 2013 में अभियुक्त अरशद पुत्र वन्दा निवासी गन्दराऊ थाना कैराना के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 75/13 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधि0 व पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.- वर्ष 2010 में अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र जयपाल निवासी लाडवा थाना लाडवा कुरुक्षेत्र हरियाणा के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 734/2010 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6.- वर्ष 2008 में अभियुक्त इसराईल पुत्र अली मौहम्मद निवासी भडी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 301/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।